तारीख हुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **राजस्व आवेदन संख्या 315/2022 अनवान चम्पालाल बनाम रावताराम वगैराह**
25/01/23	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी के वकील तथा अप्रार्थीनी संख्या 01, 03 से 05 के वकील उपस्थित। शेष अप्रार्थीगण ईकरतफा। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी मौजा जालीपा पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 446/141 रकबा 3.0675 हैक्टयर भूमि आई हुई है जिसमे प्रार्थी का 1/3 हिस्से का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है, इस हेतु निर्धारित शुल्क जमा करवाने को तैयार है। वकील अप्रार्थी संख्या 01, 03 से 05 ने निवेदन किया कि अप्रार्थीनी 01, 03 से 05 के खेत की सीमाओं को छोड़कर एवं अप्रार्थीगण की उपस्थिति में प्रार्थी की नेखमबन्दी की जाती है तो उन्हे कोई आपति नही है। उभय पक्षों को सुनने के पश्चात पत्रावली का भी अवलोकन किया गया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी प्रार्थना पत्र में अंकित भूमि का अभिलिखित खातेदार है तथा अपनी खातेदारी भूमि की पक्की नेखमबन्दी करवाना चाहता है जो उचित प्रतीत होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थी मौजा जालीपा पटवार क्षेत्र जालीपा तहसील बाडमेर ग्रामीण व जिला बाडमेर के खसरा संख्या 446/141 रकबा 3.0675 हैक्टयर भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबन्दी करने हेतु तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण को कमीश्नर नियुक्त किया जाकर निर्देश दिये जाते है कि उक्त कार्रवाई प्रार्थी व अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस/पत्र सूचित करते हुए एक निश्चित तारीख मुकर्रर कर (वर्षाकाल में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत् राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) की जावे। कमीश्नर फीस 1500/– अक्षरे एक हजार पांच सौ रूपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थी द्वारा मौके पर अदा की जायेगी। इस आशय का आदेश तहसीलदार बाडमेर ग्रामीण के नाम जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर सामिल मिसल हो। पत्रावली फ़ैसल–सुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बाड़मेर